न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 199 / 2012 दर्ज दिनांक : 09.11.2012

1. मृतक दतुखां उर्फ अल्लादीनखां पुत्र रहीमखां जाति कायमखानी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू

1/1 शायरा बानो पत्नी दतु खान
1/2 रोशन बानो पुत्री दतु खान
1/3 मृतक नवाब अली पुत्र दतृ खां
1/3/1 ताज बानो पत्नी नवाब अली
1/3/2 शबनम बानो पत्नी नवाब अली
1/3/3 तबसुम बानो पुत्री नवाब अली
1/3/4 शकील खान पुत्र नवाब अली
1/4 हसना बानो पुत्री दतु खान
1/5 सहीदन पुत्री दतु खान
1/6 अमीना पुत्री दतु खान
1/7 प्रवीण पुत्री दतु खान
1/8 युनस अली पुत्र दतु खान
1/9 मोबिना पुत्रद दतु खान
1/10 नूरबानो पुत्री दतु खान
1/11 सराफत पुत्र दतु खान

} जाति कायमखानी निवासीगण– घांघू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू
2. जंगशेर पुत्र हाकमअली जाति कायमखानी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री कानसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

वादी की ओर से दावा अन्तर्गतधारा 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यह कि कृषि भूमि पुराना ख न 480 तादादी 13 बीघा 05 बिश्वा वा खसरा नम्बर 481 तादादी 13 बीघा 13 बिश्वा रोही मौजा घांघू वादी के संवत 2012 के पूर्व से कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा आज तक वादी इस भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। इस भूमि के हाल पैमाइस मे नये खसरा नम्बर 589 तादादी 11 बिश्वा, **589 / 1052** [illegible] नम्बर **865 तादादी 12 बीघा 04** बिश्वा व खसरा नम्बर **869 तादादी 13 बीघा 05** बिश्वा [illegible] कायम हुए है।

2. यह कि वादी को पाकिस्तान [illegible] व अनाधिकारपूर्ण तरीके से इस भूमि का इंतकाल सं. 309 दिनांक 24.10.64 के [illegible] विभाग (राष्ट्रपति भारत गणराज्य) के नाम से तस्दीक कर दिया जिसके पश्चात वादगत भूमि का खाता कस्टोडियन विभाग [illegible] से चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

है जो शुरू से ही गलत है क्योंकि वादी कभी भी पाकिस्तान नही गया था भारत का ही नागरिक है यही ग्राम घांघू में ही निवासर करता आ रहा है तथा Administrsation of evacuee property Act 1950 की धारा 7ए के मुताबिक दिनांक 07 मई 1954 के पश्चात् कोई भूमि कस्टोडियन की घोषित नही की जा सकती । इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.10.1964 को वादगत भूमि कस्टोडियन विभाग की दर्ज की गई जो कतई गलत अंकन से वादी के अधिकारो पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है इसके पश्चात् वर्तमान में वादगत भूमि को कस्टोडियन विभा गसे हटाकर सिवायचक के नाम से सन 2009 में अंकित की गईजबकि वस्तुतः उक्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है तथा वादी लगातार इस भूमि को बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है तथा टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है तथा वादी लगातार इस भूमि को बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है तथा टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से वादी का इस भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से वादी का इस भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण वादी इस भूमि का नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो चुका है। तथा ऐसी घोषणा किये जाने हेतु यह दावा प्रसतुत किया जा रहा है।

3. यह कि उपरोक्त प्रकार से गलत रूप से वादगत भूमि की खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम से दर्ज हो जाने के पश्चात् तहसीलदार चूरू द्वारा निष्क्रान्त सम्पति अधिनियम 1950 के मुताबिक खसरा नम्बर 480 व 481 की कृषि भूमि की कीमत रू 942.70 रूपये प्रतिवादी ने जरिए चालान स. 37 दिनांक 30.06.69 को प्राप्त कर लिये थे जो वादगत कृषि भूमि की पूरी कीमत वादी ने अदा कर दी है पर किसी कारण वश सनद जारी नहीं की जा सकी। वादी ने वारदग भूमि के पूरे पैसे अदा कर दिए है वादी भोला–भाला किसान है जो लगातार अपनी कृषि भूमि का काश्त करता चला आया है। इस प्रकार से भी वादी इस भूमि का खरीद शुदा खातेदार हो चुका है मगर रिकॉर्ड में इसके आधार पर वादी के नाम से खातेदारी का अंकन हुआ है इसलिए भी वादी को यह दावा लाना आवश्यक हो गया है।

4. यह कि वादी के खिलाफ इस भूमि के बाबत कभी भी कोई बेदखली की कार्यवाही नी की गई है मगर इस वर्ष सिवाय चक दर्ज होने के कारण से तहसीलदार चूरू के द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही का नोटिस दिनांक 29.08.2012 को जारी किया गया है जो गलत है क्योकि वादी ने इस भूमि की पूर्ण कीमत प्रतिवादी को अदा कर दी है और वादी का कब्जा काश्त संवत 2012 के पहले से ही चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी को इस भूमि बाबत बेदखली की कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्रापत नहीं है मगर प्रतिवादी इस तथ्य को नही मान रहे है इसलिए प्रतिवादी को जरिये डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वादी को इस भूमि से बेदख लना करें ना काश्त करने से रोके जिसके लिए भी यह दावा पेश किया जा रहा है।

5. यह कि प्रतिवादी के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दयिा जाना आवश्यक है मगर इस प्रकरण में परिस्थियिां आपातिक है तथा प्रतिवादी धारा 91 के कार्यवाही शुरू कर रखी है और नोटिस दिए जाने की स्थिति में वादी को बेदखल कर दिया जावेगा इसलिए अदालतवाला की पूर्व अनुमति अनतर्गतधारा 80(2) जाब्ता दीवानी की प्रापत करने बिना नोटिस के यह दावा पेश किया जा रहा है।

6. यह कि वादनी ने प्रतिवादी को कहा व हिलवाया कि वादी इस भूम की सम्पूर्ण कीमत अदा कर दी है इसलिए वादी को खतेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवा देवे तथाबेदखली की कार्यवाही ना करें मगर प्रतिवादी टालमटोल [illegible] 21.09.2012 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया लिहाजा यही तारीख विनाए [illegible] दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि निवास स्थान फैरिकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्टफीस पर हर प्रकार से अंदर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखे अनुसार डिग्री फरमाया जावे:

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 589 तादादी 11 बीघा 04 बिश्वा व खसरा नम्बर 869 तादादी 13 बीघा 05 रोही घांघू तहसील चूरू का वादी खातेदार काश्तकार है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अंकन करवाया जावे।

(ख) जरिए डिग्री हुक्म इम्तनाई द्वाम प्रतिवादी का वर्जित किया जावे कि वे उपमद क में अंकित कृषि भूमि में वादी को बेदख लना करे ना काश्त करने से रोके ना अन्य ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिससे वादी के हक अधिकार व कब्जे काश्त पर विपरीत असर पड़ता है।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित पैरोकार को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिया जाने पर जवाब बंद किया किया जाकर पावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ओदश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया जिसको स्वीकार किया जाकर जंगशेरखान को प्रतिवादी संख्या 02 बनाया गया दतुखां के फौत होने पर दतुखां के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिय गया । प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता नरेशसिंह ने वकालतनामा पेश कर काउण्टर क्लेम पेश किया गया जिस पर पत्रावली को कायम तनकीयात् में नियत की जाकर तनीक कायम की गई तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। वादी की ओर से शकीलखान व रोशन बानो ने उपस्थित होकर बयान प्रस्तुत किये। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अन्य साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गई तत्पश्चात् अधिवक्ता अधिवक्ता अब्दुल गफार खान की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा काउण्टर क्लेम विड्रा किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया अधिवक्ता प्रार्थी विड्रा किये जाने पर अनापति जाहिर की जिस प्रतिवादी के काण्टर क्लेम को ड्रॉप किया गया। तथा पत्रावली को बहस में नियत किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। तथा बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दस्तावेज प्रदर्श–1 के अनुसार मिलान क्षेत्रफल रोही ग्राम घांघू सम्वत् 2028 में खसरा नम्बर 481 व 480, 431, 430, 429 से तीन नये खसरों का निर्माण हुआ है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 865 तादादी 12 बीघा 04 बिश्वा, खसरा नम्बर 869 तादादी 13 बीघा 05 बिश्वा, खसरा नम्बर 589/1052 तादादी 01 बीघा 02 बिश्वा निर्मित हुए है। प्रदर्श–6 नामान्तरण ग्राम पंचायत घांघू नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 24.10.64 नामान्तरकरण में आर्डर नं. No/CN/NT/63/1054 ता. 30.07.1963 के तहत खसरा संख्या 480, 481 दतु वगैरह के नाम खातेदारी को खारिज किया जाकर राष्ट्रपति के नाम खातेदारी दर्ज की गई। प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 31 के अनुसार रोही ग्राम घांघू खेत खसरा नम्बर 589, 865, 869, 589/1052 विभागीय राष्ट्रपति भारत सरकार कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज है। प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में खसरा नम्बर 480, 481 राष्ट्रपति भारत गणराज[illegible] वल्द रहीम खां कौम नामजोगो सा देह अंकित है। प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् [illegible] खसरा नम्बर 480, 481 में दुला वल्द पि. मोहमद वादजी साद खा[illegible] काश्तकार है अंकित है। प्रदर्श–7, 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

खसरा गिरदावरी रोही ग्राम घांघू खेत खसरा संख्या 481 में दुला बगैरह व व शरह नम्बर 480 खातेदारान व हीमखां वल्द अनुखां काश्तकार स0 2010 खुदकाश्त अंकित है। प्रदर्श-9 रोही ग्राम घांघू खेत खसरा नम्बर 480 गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 में दुला वल्द मोहमदा कौम कजी सा. देह खातेदार तथा दतु पुत्र रहीमा काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श-10 गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021 खेत खसरा नम्बर 480 रोही ग्राम घांघू में दुला-लखु पि. मोहमदा कौम काजी सा. देह खातेदार व दतुखां वल्द रहीमखां कौम कायमखां सा देह बकाश्त दर्ज है। प्रदर्श-11 जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 खसरा संख्या 480 में राष्टपति भारत गणराज्य EP बकाश्त दतु खां वल्द रहीमखां कायमखानी दर्ज है। प्रदर्श-12 गिरदावरी सम्वत् 2026 से 2029 रोही ग्राम घांघू खेत खसरा नम्बर 480 में राष्टपति भारत गणराज्य EP बकाश्त दतु खां वल्द रहीमखां कायमखानी दर्ज है। प्रदर्श-13 गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033 रोही ग्राम घांघू खेत खसरा संख्या 480 में में राष्टपति भारत गणराज्य EP बकाश्त दतु खां वल्द रहीमखां कायमखानी दर्ज है। प्रदर्श-14 जमाबंदी सम्वत् 2066 खसरा संख्या 589, 589/1052, 865, 869 रोही ग्राम घांघू में विभागीय भूमिया राष्ट्रपति भारत सरकार कस्टोडियन विभाग दर्ज है। प्रदर्श-2 जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2014 रोही ग्राम घांघू खेत खसरा नम्बर 480, 481 में दुल्हा -लाखा पि0 मोहमदा कोम काजी सा0 देह खातेदार व रहीम खां वल्द अन्नुखां कौम कायमखानी सा0 देह काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श-5 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 रोही ग्राम घांघू खेत खसरा नम्बर 589, 865, 869, 589/1052,ख 434, 467, 475 में विभागीय राष्ट्रपति भारत सरकार कस्टोडियन विभाग कस्टोडियन 1/6 हिस्सा भादरखां वल्द अनुखां कायमखानी 5/6 हिस्सा सा. देह खोतदार दर्ज है। एक रशीद पेश की गई जिसके अनुसार दिनांक 30.06.1969 को खसरा संख्या 480, 481 बाबत 842.70 रूपये चालान संख्या 37 के जरिये जमा करवाये गये है जो प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

परिपत्र 2012 के अनुसार

1. गैर खातेदार काश्तकार को संबंधित उपखण्ड अधिकार को खातेदारी हेतु आवेद करना होगा तथा आववेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ सम्वत् 2012 से आवेदन तिथि वर्ष तक की जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाण्ति प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
2. संबंधित उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड की भली-भांति जांच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थित की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे।
3. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार खातेदारी हेतु पात्र पाये जाने वाले गैर-खातेदार आवेदकों को समस्त देय राजकीय बकाया राशि मय ब्याज(यदि कोई हो) तथा 4000/- प्रति बीघा (सिंचित) एवं 2000/- प्रति बीघा (असिंचित) की दर से नियमितीकरण शुल्क जमा कराना होगा तथा 2000/- प्रति बीघा (सिंचित) एवं 1000/ प्रति बीघा (असिंचित) शास्ति के रूप में जमा कराने होंगे।अनुसूचित जाति/जनजाति/बीपीएल श्रेणी के गैर खातेदार आवेदकों से बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखिता नियमितीकरण शुल्क व शास्ति का प्रतिशत ही वसूलनीय होगा।
4. ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी बिना किसी विक्रय पत्र या इकरार नामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों, उन्हें सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे मे निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात् बिन्दु संख्या-3 के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर खातेदारी अधिकर प्रदान किए जा सकेंगे।
5. नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि के [illegible] खातेदारी को बिन्दु सं. 02 के अनुसार पात्र पाये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व(कृषि [illegible] 1970 के नियम 18 के उपनियम(4)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.06.07 को जोड़े गये परन्तुतक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी ने दावा किया कि वह संवत् 2012 से वादगत कृषि भूमि पर कास्त में है। वर्ष 1964 में ग्राम पंचायत ने गलत रूप से भूमि को कस्टोडियन के नाम दर्ज कर दिया। 1969 में उसने भूमि मूल्य जमा किया था। अतः उसे खातेदार घोषित किया जाए और प्रतिवादी को बेदखली से रोका जाए। प्रतिवादी–1 ने जवाब नहीं दिया। प्रतिवादी–2 ने काउंटर–क्लेम दाखिल किया पर बाद में वापस ले लिया। वाद की जड़ में जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज चालान संख्या 37 दिनांक 30.06.1969 वादी द्वारा प्रदर्शित (Exhibited) नहीं करवाया गया। रसीद को केवल पेश किया गया, राजस्व नियमों के अनुसार इसे exhibit बनाए बिना प्रमाण का दर्जा नहीं मिलता। वादी ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य, गवाह, या मौका रिपोर्ट नहीं करवाई। केवल 'कागजी जमाबंदी/गिरदावरी प्रस्तुत की जो कब्जा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह साबित नहीं किया गया कि वादी संवत् 2012 से निरंतर एवं वैध कब्जे में रहा। कई वर्षों में गिरदावरी में अन्य कास्तका भी दर्ज हैं। वादी आवश्यक साक्ष्य के भार (Burden of Proof) को discharge नहीं कर पाया। वादी ने 1964 का नामान्तरण अवैध कहा पर कोई भी वैधानिक आदेश नोटिस अपील या प्रमाण पेश नहीं किया जो यह सिद्ध करे कि नामान्तरण नियम–विरुद्ध था। न ही वादी ने कस्टोडियन विभाग को पक्षकार बनाया, जबकि नामान्तरण के निरस्तीकरण के लिए यह आवश्यक है। इस आधार पर भी वादी का दावा टिक नहीं सकता।

रिकॉर्ड सम्वत 2010 से 2070 तक यही स्थिति दर्शाता है। वादी द्वारा परिपत्र के अनुसार कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। चालान दिनांक 30.10.1969 का भुगतान परिपत्र 2012 में वर्णित प्रक्रिया का स्थानापन्न (Substitute) नहीं है। परिपत्र 30.03.2012 के अनुसार खातेदारी प्रदान करने की पूर्ण प्रक्रिया आवेदन आधारित है। संबंधित उपखण्ड अधिकारी जाँच के बाद पात्रता निर्धारित करता है। वादी द्वारा आज तक कोई आवेदन नियम 18 की प्रक्रिया नियमितीकरण शुल्क शास्ति राजकीय बकाया कुछ भी पूरा नहीं किया गया। वाद द्वारा सीधे घोषणात्मक राहत मांगना विधि–विरुद्ध है। परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं इस परिपत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं में से वादी ने एक भी का पालन नहीं किया खातेदारी हेतु अलग से उपखण्ड अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया दावा साथ सम्वत् 2012 से दावा दायरी तक की सम्पूर्ण गिरदावरी तो प्रस्तुत की है परन्तु जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा जमा नहीं किया गया (भूमि असिंचित होने पर भी ₹2000 + ₹1000 प्रति बीघा देय) राजस्व रिकॉर्ड की पात्रता जाँच हेतु आवेदन ही नहीं नियम 18, राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1970 की प्रक्रिया पूरी तरह अनुपालनहीन ।

वादी भूमि पर गैर–खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि राष्ट्रपति संपत्ति है, अतः खातेदारी अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। वादी की ओर से केवल 1964 का चालान प्रस्तुत किया गया, किन्तु यह चालान आज लागू परिपत्र व नियमों में खातेदारी का आधार नहीं है। परिपत्र 2012 में यह स्पष्ट है कि नियमितीकरण शुल्क व शास्ति राजकीय बकाया औपचारिक आवेदन राजस्व रिकॉर्ड की जाँच के बाद ही खातेदारी पर निर्णय संभव है। वादी का दावा अपूर्ण, अकालनीय एवं अधूरा है। वादी द्वारा कानूनी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी सीधा वाद दाखिल किया गया, जो धारा 88–आर.टी.ए.के अंतर्गत वाद योग्य नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

अतः समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध रिकॉर्ड, तथ्यों, परिपत्र दिनांक 30.03.2012 एवं नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के अधीन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण वादीगण का दावा विधि और तथ्य दोनों में अस्वीकार्य पाया जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested